

तारीख  
हुकम

30-4-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक 30-4-21 को पेश हो।

18-5-21

उभय पक्ष रू... आसीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

15-11-21

पञ्जावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021  
कैम्प गाँव पंचायत चारखेड़ में पेश हुई।  
अभियोगों के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त  
हुए जिले शा-पठ किये गये। वरुसी लहर भाईल  
पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौजूद रिपोर्ट प्राप्त  
हुई जिले शा-पठ किये गये। प्रार्थीगण का प्रा-पत्र  
स्वीकार किया जाकर निर्वाप हथकड़े लिखा  
जाकर शा-पठ किया गया। पञ्जावली फलल शुभर  
होकर नम्बर सै कम हो।

डॉ. पूजा सुक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

पञ्जावन गाँवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 197/20 प्र।-पत्र

1- श्री साताराम स। जी. कल कुर्जर निवासी शिवपुरा, ठाकरी तहसील (कोटा) -- प्रार्थी

1- श्री रामा.स। लाल कुर्जर निवासी शिवपुरा तहसील-भाण्डल (कोटा) (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष) -- प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक

15-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ठाकरी पटवार हल्का 1, 2, 3, 4 तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 105/116/1, 117/118, 107/2 कुल किता 0.8 बा. 07 बीघा हेक्टेयर 5 पिघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.11.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ठाकरी पटवार हल्का चार वेड तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 105/116/1, 117/118, 107/2 कुल किता 0.8 रकबा 07 बीघा 15 हेक्टेयर

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चांदराम को 800/- रूपयें कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, मांडल  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थर गद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
डॉ. पूजा सक्सेना  
मांडल, जिला-भीलवाड़ा  
उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021